न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0 एस0 नं0– 390 / 2012

महंथ राम –वादी

बनाम्

रामबिहारी चौबे –प्रतिवादी

19.02.2025

प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से आवेदक के द्वारा आदेश 1, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतगर्त एक आवेदन इसव आशय से दाखिल किया गया हैं कि इस मोकदमा में वादी द्वारा अर्जी जमीमा नं0–1 में जो एराजी दिया गया है उसका खाता सं0–487, प्लाट नं0–1905, रकबा–1 बिगहा 12 कठ्ठा सैयतकरारी दिया गया हैं उसका खतियान राम विलास चौबे के नाम से हैं। स्व0 रामविलास चौबे के दो लड़के रामप्रकाश चौबे वो रामजी चौबे हैं। रामप्रकाश चौबे के दो लड़के रामबिहारी चौबे वो विपुल चौबे हैं। रामबिहारी चौबे उक्त मोकदमा में प्रतिवादी हैं तथा विपुल चौबे को वादी जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया हैं। जबकि उक्त विवादित भूखण्ड पर दोनों भाई का हिस्सा बराबर–बराबर हैं। उपरोक्त एराजी में निस्वत नम्बरी मोकदमा–105 सन् 2012 सब जज प्रथम डुमरॉव के यहॉ बटॅवारा के लिए दाखिल था। जिसमें दिनांक–09.02.2016 को आदेश पारित हुआ है। जिसमें प्रार्थी को रामप्रकाश चौबे के जायदाद में हिस्सा प्राप्त हुआ। उक्त मोकदमा में प्रार्थी को भी पक्षकार बनाया गया था तथा वादी को रामबिहारी चौबे द्वारा नुमाईशी कबाला लिखवाने के चलते कबाला को चुनौती दी गई थी वो उन्हें प्रतिवादी नं0–13 बनाया गया था। वादी द्वारा इस बात की जानकारी होते हुए भी प्रार्थी को वर्तमान मोकदमा में पक्षकार नहीं बनाया गया। इसी प्रकार रामजी चौबे को भी पक्षकार नहीं बनाया गया था। रामजी चौबे दिनांक–22.06.2018 को पक्षकार बनने का आवेदन दिया तब न्यायालय के आवेदन को स्वीकृत करके पक्षकार बनाया। वादी प्रार्थी की सम्पति हड़पना चाहते है। प्रार्थी वर्तमान मोकदमा में आवश्यक पक्षकार हैं वो विवादित भूखण्ड में इन्ट्रेस्ट हैं। ऐसे हालत में प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये मोकदमा का निस्पादन न्यायसंगत नहीं होगा।

वादी तथा प्रतिवादी सं0–1 के द्वारा उपरोक्त आवेदन के आलोक में पर्याप्त समय देने के बावजुद भी प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया हैं।

जिसके कारण उपरोक्त आवेदन एकपक्षीय सुनवाई की गई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात अभिलेख अवलोकन से विदित होता हैं कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद महदानामा दिनांक–13.02.2009 के आलोक में स्पेस्फिक परफारमेंस के लिए लाया गया हैं जिसमें वादी के द्वारा कथन किया गया हैं कि उपरोक्त महदानामा प्रतिवादी सं0–1 के द्वारा वादी के पक्ष में किया गया हैं। किन्तु आवेदक का कथन हैं कि प्रतिवादी के द्वारा जिस भूमि के संबंध में महदानामा किया गया हैं वह प्रतिवादी सं0–1 एवं आवेदक की संयुक्त पैतृक संपति हैं। इस आधार पर यह कहना न्यायोचित प्रतीत होता हैं कि आवेदक इस वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं हैं किन्तु एक उचित पक्षकार हैं। अतः इस वाद के पूर्ण न्याय निर्णयण हेतु आवेदक के इस आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–3 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है तथा आवेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि दिनांक–06.02.2025 के पूर्व अपना बयानतहरीरी दाखिल करें।

लेखापित

सब जज–तृतीय